न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्याः– 2023/50

सिविल प्रकरण संख्याः– 45/2023 तारीख रजू 28.07.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
..........आवेदक

बनाम

1. विष्णु कुमार चौधरी पुत्र श्री राम प्रसाद जाट (विक्रेता) मैसर्स दुग्ध संकलन केन्द्र, सुखवास तह. खण्डार सवाई माधोपुर। .... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

दिनांक 03.11.2025

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 26.03.2023 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर रणथम्भौर रोड स्थित सरस डेयरी सवाई माधोपुर के बाहर एक पिकअप में 40–40 लीटर दुग्ध से भरी व 1 कैन जिसमें लगभग 20 लीटर दूग्ध था को परिवहन कर सरस डेयरी में दुग्ध विक्रय हेतु विष्णु कुमार चौधरी ले जा रहे थे जो पिकअप में रखे दुग्ध में विक्रेता ने मिक्स मिल्क होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। कैनो में रखे दूग्ध 300 लीटर रखा था। उक्त मिश्रित दूध में गुणवत्ता में कमी होने का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु उक्त कैन में रखे मिश्रित दूध को हिलामिला कर एक रूप कर उसमें से 02 लीटर मिश्रित दूध खरीदकर उसकी कीमत 120/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान नितेश गौतम के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 लीटर मिश्रित दूध को चार नयी खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिश्रित दूध को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2758** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2758 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये। ... नमूना भागों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:40:51 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर